

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, छटा तल
जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/पी०जी०/२०२२/८९९ लखनऊ:दिनांक १८ अप्रैल २०२२
यू०पी० नीट पी०जी०-२०२१ के मॉप-अप राउन्ड हेतु संशोधित समय-सारिणी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर (एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा) तथा डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मॉप-अप राउन्ड की समय सारिणी निम्नवत् है:-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन (एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा) की तिथि	दिनांक १९ अप्रैल २०२२ (पूर्वाह्न ११:०० बजे) से दिनांक २१ अप्रैल २०२२ (अपरान्ह २:०० बजे) तक
2	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन (डी०एन०बी०) की तिथि	दिनांक १९ अप्रैल २०२२ (पूर्वाह्न ११:०० बजे) से दिनांक २१ अप्रैल २०२२ (अपरान्ह २:०० बजे) तक
3	मेरिट लिस्ट (एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा तथा डी०एन०बी०) जारी किये जाने की सम्भावित तिथि	दिनांक २१/२२ अप्रैल २०२२
4	राजकीय मेडिकल कालेजों की एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक २७ अप्रैल २०२२
5	राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सालयों की डी०एन०बी० सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक २८ अप्रैल २०२२
6	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक २९ अप्रैल २०२२ से ३० अप्रैल २०२२ तक
7	प्रवेश लेने की तिथि	आवंटन की तिथि को ही ऑन स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होगी। On Spot Admission

- मॉप-अप राउन्ड में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों को ₹० २,०००/- (₹० दो हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क ऑन-लाइन प्रक्रिया से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करते हुये एन०आई०सी० की वेब-साईट <https://upneet.gov.in> पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा तथा डी०एन०बी० पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग हेतु पृथक-पृथक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक ०५ अप्रैल २०२२ से ०८ अप्रैल २०२२ के मध्य आयोजित मॉप-अप राउन्ड (जो स्थगित कर दिया गया था) हेतु पूर्व में एन०आई०सी० की वेब-साईट <https://upneet.gov.in> पर पंजीकरण कराया जा चुका है, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
- पूर्व में मॉप-अप राउन्ड हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों तथा नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त मेरिट सूची वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
- मॉप-अप राउन्ड का आयोजन के०जी०एम०यू० लखनऊ के कलाम सेंटर में किया जायेगा। अभ्यर्थी दिनांक २७ अप्रैल २०२२ को पूर्वाह्न ११:०० बजे एवं अग्रेत्तर तिथियों में पूर्वाह्न १०:०० बजे रिपोर्ट करेंगे।
- मॉप-अप राउन्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू०पी० नीट पी०जी० २०२१ की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- यू०पी० नीट पी०जी० २०२१ की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉप-अप राउन्ड हेतु अर्ह नहीं हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जो भारतवर्ष के किसी मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में नीट पी०जी०-२०२१ के माध्यम से प्रवेशित हैं वह मॉप अप राउन्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु ₹० ३०,०००/- (₹० तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र की एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा की सीटों हेतु ₹० २,००,०००/- (₹० दो लाख मात्र) की सिक्योरिटी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० (Director General Medical Education & Training, U.P) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) में नहीं जमा की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी सिक्योरिटी धनराशि पूर्व की काउंसिलिंग से जमा है, उन्हें पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

11. मॉप-अप राउन्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आवंटन/प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में क्लीनिकल सीटों हेतु शिक्षण शुल्क रू0 20.00 लाख तथा पैथालॉजी पाठ्यक्रम हेतु रू0 8.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 (**Director General Medical Education & Training, U.P**) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, आवंटन के समय के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. शासनादेश दिनांक 08.12.2021 के द्वारा निर्धारित सिक्वोरिटी शुल्क, हास्टल शुल्क न्यूनतम रू0 8.00 लाख का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 (**Director General Medical Education & Training, U.P**) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की निर्धारित शिक्षण शुल्क के अन्तर की धनराशि आवंटित/प्रवेशित मेडिकल कालेज अथवा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 के खाते में On Spot ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
15. उक्त दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 07.10.2021 तथा ब्रोशर में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुये मॉप-अप राउन्ड सम्पन्न किया जायेगा।
16. मॉप-अप राउन्ड की कार्यवाही सीटें उपलब्ध रहने तक ही की जायेगी।
17. अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://upneet.gov.in & www.dgmg.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।